न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 72/2016

ओम प्रकाश पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 एस के एम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. ब्रह्मा देवी पत्नी रतन चन्द
2. जयचन्द
3. बाबुराम
4. सुरम सिंह
5. जगदीश
6. माया देवी
7. सुमित्रा देवी
8. सरिष्ठा
9. सन्तोष

(2 से 9) पिसरान रतन चन्द

(1 से 9) जाति चौधरी निवासीगण बाड़ी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

10. अनिता पुत्री रतन चन्द पत्नी प्रताप चन्द जाति चौधरी निवासी 2 सैक्टर तलवाड़ा पोंगडेम मकान नम्बर 1056/4टी/1 बी–टाऊनशीप तलवाड़ा जिला होशियारपुर।
11. मीना देवी बेवा फकीर चन्द
12. अजय कुमार पुत्र फकीर चन्द
13. रमन कुमार पुत्र फकीर चन्द

(11 से 13) जाति चौधरी निवासी बसोड़ तहसील जवाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

14. देवीलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी चक 5 के डी ढाणी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घड़साना दिनांक 27.05.2013

23/4/18

उपस्थितिः–

श्री सोहन लाल जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी घडसाना को पेश कर कथन किया कि रतन चन्द को दिनांक 14.06.1974 को चक 2 एस के एम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 169/36 की 21.10 बीघा व मुरब्बा नम्बर 169/37 की 3.10 बीघा कुल 25 बीघा भूमि बतौर पोंगबांध विस्थापित के तहत आवंटित हुई है। आवंटन के पश्चात् आवंटी ने उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं की एवं आगे विक्रय कर दी। पोंग बांध आवंटन नियमों के तहत गैर खातेदार भूमि को कम से कम 20 वर्ष तक विक्रय नहीं करेगा। इस प्रकार आवंटी ने पोंग बांध विस्थापित नियमों की अवहेलना की है। अतः विवादित भूमि को रकबा राज घोषित किया जावे। अप्रार्थी संख्या 14 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.05.2013 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वकील अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आवंटी द्वारा गैर खातेदारी भूमि का विक्रय कर दिया है। मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

23/4/18

श्रृखलाबद्ध निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ है कि शिकायतकर्ता अपीलांट नहीं हो सकता। शिकायतकर्ता का दायित्व अनियमितता की सूचना तक स्वीकार्य है परन्तु शिकायत के निस्तारण के बिन्दु पर शिकायतकर्ता प्रभावित पक्षकार नहीं हो सकता, क्योंकि आवंटन, आवंटी एवं राज्य सरकार के मध्य का Issue है। अतः अपीलांट की विधिक Locus standai नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर